रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 600] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 10, 2019/आश्विन 18, 1941
No. 600] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 10, 2019/ASVINA 18, 1941

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2019

सा.का.नि. 773(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रवर्तन निदेशालय (उप विधिक सलाहकार और सहायक विधिक सलाहकार) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2011 को अधिक्रांत करते हुए, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय में उप विधिक सलाहकार और सहायक विधिक सलाहकार के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, (उप विधिक सलाहकार और सहायक विधिक सलाहकार) समूह 'क' पद भर्ती नियम 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना** – ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और **वेतन मैट्रिक्स में स्तर** वह **होगा**, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि** – भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो **उक्त** अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता** - वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, **तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके,** इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप विधिक सलाहकार	07*(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-12	चयन	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)

प्रोन्नति:
जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 में सहायक विधिक सलाहकार के रूप में उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त शोध संस्थान या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी अथवा स्वायत्त संगठन के ऐसे अधिकारी, जो :-

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदस्य पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जो मूल काडर या विभाग में जिनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 या उसके सदृश है नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो,:-

(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि से डिग्री और

(ii) दांडिक विधियों या राजस्व विधियों से व्यवहार करने का बार का 8 वर्ष का अनुभव। या

(iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मास्टर डिग्री और

(iv) दांडिक की विधियों या राजस्व विधियों से व्यवहार करने का बार का 5 वर्ष का अनुभव

टिप्पण 1. - पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2. - प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3. - प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए, जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग - **अध्यक्ष** 2. अपर सचिव, राजस्व विभाग - **सदस्य** 3. प्रवर्तन निदेशक - **सदस्य**	जब किसी अधिकारी की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के आधार पर हो रही हो वहां पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. सहायक विधिक सलाहकार	18* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11	लागू नहीं होता	40 वर्ष से अनाधिक **टिप्पण -1:** केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण-2:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई है अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में डिग्री; और (2) दांडिक विधियों या राजस्व विधियों से व्यवहार करने का बार का तीन वर्ष का अनुभव या (3) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मास्टर डिग्री; और (4) दांडिक विधियों या राजस्व विधियों से व्यवहार करने का बार का एक वर्ष का अनुभव **टिप्पण -1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए **संघ लोक सेवा आयोग** के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण -2:** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए **संघ लोक सेवा आयोग** के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित

					जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर **संघ लोक सेवा आयोग** की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	एक वर्ष	(i) चालीस प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन द्वारा; और (ii) साठ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(11)

प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।)/आमेलन:

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ क्षेत्र या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त शोध संस्थान या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी अथवा स्वायत्त संगठन के ऐसे अधिकारी, जो :-

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदस्य पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जो मूल काडर या विभाग में जिनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10/स्तर-9 है नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

(ख) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखता हो।

टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

आमेलन:

टिप्पण: केवल केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी ही आमेलन के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाएंगे।

(12)		(13)
समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति, (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-		प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
1. अपर सचिव, राजस्व विभाग	- अध्यक्ष	
2. संयुक्त सचिव, राजस्व विभाग	- सदस्य	
3 प्रवर्तन निदेशक	- सदस्य	

[फा.सं. ए-12018/8/2017-एडी.ईडी]

विवेक मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2019

G.S.R. 773(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Enforcement (Deputy Legal Adviser and Assistant Legal Adviser) Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2011, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Legal Adviser and Assistant Legal Adviser in the Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, namely:- -

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, (Deputy Legal Adviser and Assistant Legal Adviser), Group 'A' Posts, Recruitment Rules. 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.** – These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, level in the pay matrix.** – The number of the said posts, their classification, level in the matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.** – No person,-

(a) who, has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in the pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age limit for direct recruits.**	**Educational and other qualification required for direct recruits.**
1	2	3	4	5	6	7
1. Deputy Legal Adviser	07*(2019) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, non-Ministerial	Level-12.	Selection.	Not Applicable	Not Applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion / deputation/absorption to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.**	**Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.**
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by deputation including short-term contract.	**Promotion:** Assistant Legal Adviser in Level – 11 in the pay matrix with five years regular service in the grade. **Note** : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully	Group 'A' Departmental Promotion Committee, for Promotion, consisting of:- (I) Chairman/Member, Union Public Service Commission – Chairman (II) Additional Secretary, Department of Revenue – Member	Consultation with UPSC necessary while appointing an officer on Deputation (Including Short-Term Contract)

			completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Deputation (including short-term contract): Officers under the Central Government or the State Government or Union territories/Universities/Recognised research institutions/Public Sector Undertakings/Statutory or Autonomous organisation:- (A)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; OR (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-11 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (B) possessing the following educational qualifications and experience:- (I) Degree in law from a recognised university/institute; and (II) Eight years experience at bar dealing with criminal laws or fiscal laws. OR (III) Master's degree in law from a recognized university or institute; and (IV) Five year experience at bar dealing with criminal laws and fiscal laws. **Note** 1.- The departmental officers in the feeder category	(III) Director of Enforcement - Member	

			who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2.- Period of deputation (including sort-term contract) including period of deputation (including sort-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. Note 3.- The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		

1	2	3	4	5	6	7
2. Assistant Legal Adviser.	18*(2019) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted non-Ministerial	Level-11	Not applicable	Not exceeding 40 years. **Note-1:** Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note-2:** The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).	(1) Degree in law from a recognized University or Institute; and (2) Three years experience at bar dealing with criminal laws or fiscal laws. OR (3) Master's Degree in law from a recognised University or Institute; and (4) one year experience at bar dealing with criminal laws or fiscal laws. **Note-1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note-2:** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled

						Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	One years	(i) Forty per-cent by deputation (including short term contract)/ absorption; and (ii) sixty per-cent by direct recruitment.	**Deputation (Including Short-Term Contract)/Absorption:** Officers under the Central Government or State Government or Union territories or University or recognised research institutions or Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous Organisation: (A)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-10/Level-9 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (B) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column (7). **Note1.**- Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. **Note 2.**-The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Absorption** **Note** : only officers of Central Government/State Governments/Union territories shall be eligible to be considered for appointment on absorption basis.	Group 'A' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation, consisting of:- (i) Additional Secretary, Department of Revenue - (Chairman) (ii) Joint Secretary, Department of Revenue - (Member) (iii) Director of Enforcement - (Member)	Consultation with UPSC is necessary on each occasion.

[F.No. A-12018/8/2017-Ad.ED]

VIVEK MISHRA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.10.11 11:05:11 +05'30'